न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 14/2022 **दायर दिनांकः 01/04/2022**

उनवान

1. भगवती देवी आयु 71 वर्ष पुत्री दानमल जाति महाजन निवासी मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां राज0 हाल निवासी विवेकानन्द नगर कोटा जिला कोटा राज0।

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीयाः—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय दिनाकः 30/05/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल पतल्या पटवार हल्का मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 40 का ख0नं0 77 का रकबा 2.12 है0 तथा ग्राम एवं माल मेरमाचाह की खाता संख्या 140 का ख0 नं0 192 का रकबा 0.84 है0, ख0नं0 93 का रकबा 0.40 है0, ख0 नं0 94 का रकबा 0.01 है0 गै0 मु0 चाह कुल किता 3 का रकबा 1.25 है0 आराजी प्रार्थिया एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दियां साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारियों ने सहवन से प्रार्थिया का नाम भगवती देवी के स्थान पर ग्राम पतल्या की आराजी खाता संख्या 40 में द्वारक्या बाई गलत दर्ज कर दिया तथा ग्राम मेरमाचाह की आराजी खाता संख्या 140 में दाखा बाई गलत दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थिया के दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, ग्राम पंचायत मेरमाचाह के प्रमाण पत्र में सही नाम भगवती देवी दर्ज है। इसलिए प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम द्वारक्या बाई व दाखा बाई के स्थान पर सही नाम भगवती देवी दर्ज

किया जावे। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम द्वारक्या बाई व दाखा बाई के स्थान पर सही नाम भगवती देवी दर्ज करवाया जाना संभव नहीं है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम सही दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थिया को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पडेगा जिसके फलस्वरूप प्रार्थिया को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। अस्तु प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम द्वारक्या बाई व दाखा बाई के स्थान पर सही नाम भगवती देवी दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम द्वारक्या बाई व दाखा बाई के स्थान पर सही नाम भगवती देवी दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw 1 से pw 3 के शपथ पत्र पेश किये गये । pw 1 भगवती देवी पुत्री दानमल जाति महाजन निवासी मेरमाचाह तहसील अटरू द्वारा शपथ पत्र पेश किया तथा शपथ गवाह बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी ने अपने शपथ पत्र में बताया कि ग्राम एवं माल पतल्या पटवार हल्का मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 40 का ख0नं0 77 का रकबा 2.12 है0 तथा ग्राम एवं माल मेरमाचाह की खाता संख्या 140 का ख0 नं0 192 का रकबा 0.84 है0, ख0नं0 93 का रकबा 0.40 है0, ख0 नं0 94 का रकबा 0.01 है0 गै0 मु0 चाह कुल किता 3 का रकबा 1.25 है0 आराजी मेरे एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। उक्त वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारियों ने सहवन से मेरी बहिन का नाम भगवती देवी के स्थान पर ग्राम पतल्या की आराजी खाता संख्या 40 में द्वारक्या बाई गलत दर्ज कर दिया तथा ग्राम मेरमाचाह की आराजी खाता संख्या 140 में दाखा बाई गलत दर्ज कर दिया जबकि मेरी बहिन के दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, ग्राम पंचायत मेरमाचाह के प्रमाण व

अन्य दस्तावेजों में सही नाम भगवती देवी दर्ज है। इसलिए प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में मेरी बहिन का नाम द्वारक्या बाई व दाखा बाई के स्थान पर सही नाम भगवती देवी दर्ज किया जावे।

pw 2 श्याम पुत्र दानमल pw3 राजेन्द्र पुत्र दानमल जाति महाजन निवासी मेरमाचाह तहसील अटरू द्वारा अपने शपथ पत्र में बताया कि ग्राम एवं माल पतल्या पटवार हल्का मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 40 का ख0नं0 77 का रकबा 2.12 है0 तथा ग्राम एवं माल मेरमाचाह की खाता संख्या 140 का ख0 नं0 192 का रकबा 0.84 है0, ख0नं0 93 का रकबा 0.40 है0, ख0 नं0 94 का रकबा 0.01 है0 गै0 मु0 चाह कुल किता 3 का रकबा 1. 25 है0 आराजी हमारे एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। उक्त वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारियों ने सहवन से मेरी बहिन का नाम भगवती देवी के स्थान पर ग्राम पतल्या की आराजी खाता संख्या 40 में द्वारक्या बाई गलत दर्ज कर दिया तथा ग्राम मेरमाचाह की आराजी खाता संख्या 140 में दाखा बाई गलत दर्ज कर दिया जबकि मेरी बहिन के दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, ग्राम पंचायत मेरमाचाह के प्रमाण व अन्य दस्तावेजों में सही नाम भगवती देवी दर्ज है। इसलिए प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में मेरी बहिन का नाम द्वारक्या बाई व दाखा बाई के स्थान पर सही नाम भगवती देवी दर्ज किया जावे।

3. अभिभाषक प्रार्थीया की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम द्वारक्या बाई व दाखा बाई के स्थान पर सही नाम भगवती देवी दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

4. उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पतल्या की जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता संख्या 40 (प्रदर्श–1) के ख0नं0 77 की 2.12 है0 आराजी में प्रार्थिया का नाम शामलाती खाते में द्वारक्याबाई पुत्री दानमल दर्ज रिकार्ड है। ग्राम मेरमाचाह की जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता संख्या 140 (प्रदर्श–2) किता 3 रकबा 1.25 है0 आराजी मे प्रार्थिया का नाम शामलाती खाते में दाखाबाई पुत्री दानमल दर्ज है। अन्य दस्तावेजों में प्रार्थिया का नाम

आधार कार्ड (प्रदर्श–3ए) में भगवती देवी, मतदाता पहचान पत्र (प्रदर्श–4ए) में भगवती बाई, राशन कार्ड (प्रदर्श–5ए) में भगवती, जनआधार (प्रदर्श–6ए) में भगवती, बैंक आफ बडौदा की पास बुक (प्रदर्श–7ए) में भगवती देवी दर्ज है। कार्यालय ग्राम पंचायत मेरमाचाह के प्रमाण पत्र दिनांक 26.05.2022 (प्रदर्श–8) अनुसार द्वारक्या बाई, दाखाबाई व भगवती देवी तीनों नाम एक ही महिला के है।

5. रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल पतल्या पटवार हल्का मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 40 का ख0नं0 77 का रकबा 2.12 है0 आराजी में सहखातेदार द्वारक्याबाई पुत्री दानमल के स्थान पर भगवती देवी उर्फ द्वारक्याबाई पुत्री दानमल तथा ग्राम एवं माल मेरमाचाह की खाता संख्या 140 का ख0 नं0 192 का रकबा 0.84 है0, ख0नं0 93 का रकबा 0.40 है0, ख0 नं0 94 का रकबा 0.01 है0 कुल किता 3 का रकबा 1.25 है0 में सहखातेदार दाखाबाई पुत्री दानमल के स्थान भगवती देवी उर्फ दाखाबाई पुत्री दानमल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां